न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 13/2021 of 2020-21

बाबुजान अंसारी -बनाम- महेन्द्र ~~साव~~ दास वगै0

(द.प्र.सं. की धारा 144)

का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

23.04.2021

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से
वाद दायर कर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध
किया गया। अंचल अधिकारी, डुमरी एवं थाना प्रभारी, निमियाँघाट से प्रतिवेदन की
माँग की गई। थाना प्रभारी, निमियाँघाट के ज्ञापांक 249/2021 दिनांक 10.02.2021
द्वारा भूमि का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें द0प्र0सं0 की धारा
144 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त प्रतिवेदन
के आलोक में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए वाद को
पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस निर्गत कर निम्नलिखित भूमि को
प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
बालुटूण्डा		1/218	524/1868	01 एकड़
"		1/219	524/1870	75 डी0
"		1/220	524/1871	1.50 एकड़

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्षों के द्वारा वाद की कार्यवाही के
समय उपस्थिति दर्ज की गई तथा अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के अवलोकन से प्रतीत होता है
कि वादगत भूमि प्रथम के पिता दुखन मियाँ को वजरिए हुकूमनामा बाहुकूम जनाब
मैनेजर साहेब वार्ड्स एण्ड इन्कम्बर्ड एस्ट्टेस द्वारा दिनांक 12.07.1944 को हासिल
है। जिसका लगान रसीद संख्या 267220, 841333, 569243, 166748, 749230,
120241, 174734, 788347, 0239915099, 0368883657 निर्गत है जो अद्यतन है,
कि साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। वर्तमान में ऑनलाईन रसीद भी
निर्गत है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के अवलोकन से प्रतीत होता है
कि वादगत भूमि खाता सं. 1, प्लॉट नं. 524/13, रकवा 50 डी0 भूमि बिहार
भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा दिनांक 10.07.68 को प्राप्त है। साक्ष्य के रूप में भूदान
यज्ञ कमिटि का भूदान पर्चा की छाया प्रति संलग्न किया गया है। परन्तु, भूमि से
संबंधित अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है तथा उक्त भूदान पर्चा का
माल निर्धारण नहीं किया गया है एवं लगान रसीद निर्गत नहीं है, प्लॉट संख्या
भिन्न-भिन्न है।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल किए गए कागजातों के अवलोकन एवं विज्ञ
अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के पश्चात ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष के
पास उक्त खाते की भूमि से संबंधित भूदान पर्चा के अलावा अन्य कोई दस्तावेज
नहीं है तथा प्रथम पक्ष के नाम से उक्त भूमि का जमाबंदी जमीन्दारी उन्नमूलन
से चली आ रही है एवं उनका दखल-कब्जा है। उक्त खाते की भूमि
गैरमजरूआ खास खाते की होने के कारण कोई भी वैद्यानिक आदेश पारित करना
विधिसम्मत नहीं है।

आज वाद की कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव प्रस्तुत वाद
की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

23.04.2021

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2021.09.14 23:58:33 -07:00
Location: 192.168.161.100

Certified Copy